

प्रपत्र संख्या 15
[नियम 22(4)]
साप्ताहिक छुट्टियों का नोटिस

1. संस्थान का नाम
2. पूरा पता
3. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नं. र.नं. पेज नं.
आगे और नोटिस दिये जाने तक इस संस्थान में नियोजित तथा निम्नांकित व्यक्ति को प्रत्येक सप्ताह में उस दिन जो प्रत्येक के सामने बतलाया गया है छुट्टी रहेगी।

क्र.सं.	नियोजित व्यक्ति का नाम	पद	विभाग	सप्ताह का दिन
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

यदि नियोजित समस्त व्यक्तियों के लिए एक दिन नियत किया जाए तो इस स्तम्भ में केवल शब्द (सबके लिए) निविष्ट किए जाए।

हस्ताक्षर

निरीक्षक राजस्थान शॉप्स एण्ड कामर्शियल
एस्टेब्लिशमेन्ट्स एक्ट, 1958 के अधीन

दिनांक

हस्ताक्षर,

मालिक/साझेदार/मैनेजर

दिनांक

विशेष :

- (1) इस फार्म को दुकान तथा वाणिज्य संस्थान में सामने दिखता हुआ टांकना चाहिए।
- (2) दुकान तथा वाणिज्य संस्थान में कर्मचारी अलग या बदल जाने पर 7 दिन के अन्दर दफ्तर दुकान तथा वाणिज्य संस्थान को सूचना देना अत्यन्त आवश्यक है।